फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

मूलचंद पिता सोहन लाल हरिजन नि॰ कुराड़िया वगैरह
बनाम
हरचंदा पिता कुरीलाल मीणा नि॰ कुराड़िया वगैरह

म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 768 /23

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
07.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम **नि॰ खेराडिया माता जी का खेड़ा** प. ह. नि॰ **कुराड़िया** तहसील जहाजपुर में स्थित आ॰ न॰ 1851 1852 कुल किता 02 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है **ग्राम नि॰ खेराडिया माता जी का खेड़ा** प. ह. नि॰ **कुराड़िया** तहसील जहाजपुर में स्थित आ॰ न॰ 1851 1852 कुल किता 02 रकबा 0.2995 **हेक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक **कुराड़िया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट **शीघ्र** प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 5.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर(भीलवाडा)**	

(2 रु.) कोर्ट फी (Rs.2)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 768 / 2023

दिनांक :– 5 .07.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 768/23 अनवान मूलचन्द पिता सोहनलाल, औमप्रंकाश पिता गोपाल जाति हरिजन निवासी कुराडिया **बनाम** हरचन्दा पिता कुरीलाल मीणा, अम्बालाल पिता सोमाराम मीणा, कैलाश चन्द्र पिता हीरालाल मीणा, नन्द सिंह पिता गिरधर सिंह राजपूत, रामलाल पिता मांगीलाल कुम्हार, हरच्नदा पिता भुरालाल मीणा निवासीयान कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला–भीलवाडा राजस्थान

पथरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम खेराडिया माता जी खेडा पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1851, 1852 कुल किता 02 रकबा 0.2995 हैंक्टेयर** भुमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक **कुराडिया** को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)